न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)
अपील संख्याः— 12/97/2020

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री भागीरथ यादव पुत्र श्री शुभराम यादव निवासी कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::— दिनांकः— 18.11.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31.08.20 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.11.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1438 दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से जबाव नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 31.08.20 में अंकित वांछित सूचना के संबंध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित पत्रांक 1157—58 दिनांक 15.9.20 के माध्यम से सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ भू—जल वैज्ञानिक, भू—जल विभाग, जिला भू—दोहन समिति किया गया, जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। वरिष्ठ भू—जल वैज्ञानिक, भू—जल विभाग, अलवर के पत्रांक 1163 दिनांक 23.10.20 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रा0पत्र दिनांक 31.8.20 उपखण्ड अधिकारी बहरोड को अन्तरित किया गया है। अपीलार्थी वांछित सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी बहरोड कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी को जरिये तहसीलदार बहरोड के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुका है। अतः अपील निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम सुनिश्चित करें।
8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर अलवर
जिला कलक्टर अलवर (राज0)